भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3040**

**19 जुलाई, 2019 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: कृषि क्षेत्र में निजी व्यय कीवृद्धि**

**3040. श्री संजय सिंहः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) कृषि क्षेत्र में निजी और सरकारी व्ययका वर्तमान आंकड़ा क्या है;

(ख) अपेक्षित निजी व्यय की अनुमानित राशि कितनी है;

(ग) इस निधि का उपयोग किए जाने केतौर-तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि क्षेत्र में निजी व्यय को प्रोत्साहित करने की क्या योजना है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री**

**(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

(क): केन्‍द्रीय सांख्‍यिकी कार्यालय, सांख्‍यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय द्वारा जारी पूंजी निर्माण अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2016-17 (नवीनतम उपलब्‍ध) के लिए वर्तमान मूल्‍यों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) क्रमश: 64410 करोड़ रूपए और 279066 करोड़ रूपए है।

(ख): “किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी समिति” की रिपोर्ट के अनुसार, निवल मद में,कृषि क्षेत्र 2022-23 तक भारत में किसानों की वास्‍तविक आय को दोगुना करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्‍त निजी निवेश 2015-16 के मूल्‍यों पर 78,424 करोड़ रूपए है (2004-05 के मूल्‍यों पर 46,298 करोड़ रूपए)।

निजी निवेश की कुल मात्रा (78,424 करोड़ रूपए के अतिरिक्‍त निवेश के साथ)2015-16 के मूल्‍यों पर 2015-16 में 61,000 करोड़ रूपए से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ते हुए2022-23 तक 1,39,424 करोड़ रूपएहोनी चाहिए।

(ग) और (घ): जबकि सार्वजनिक निवेश आमतौर पर क्षेत्र के बुनियादी ढ़ाचे को मजबूत करता है, निजी निवेश का संबंध उत्‍पादक क्षमता में वृद्धि से है। कृषि क्षेत्र में कारपोरेट क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निम्‍नलिखित नीति सुधार किये हैं:

(i)मॉडल कृषि उत्‍पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 जो निजी क्षेत्र को कृषि और पशुधन विपणन दोनों ही क्षेत्रों में निजी बाजारों, वैकल्‍पिक विपणन चैनलों, ऑन लाईन बाजार प्‍लेटफार्मों आदि की स्‍थापना का अवसर प्रदान करता है।

(ii) मॉडल कृषि उत्‍पाद और पशुधन संविदा फार्मिंग तथा सेवाएं (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018, जो पूरेमूल्‍य प्रणाली में पूंजी, तकनीक और विस्‍तार द्वारा निजी क्षेत्र निवेश को समर्थ करता है।

(iii)आयकर अधिनियम के तहत किसान उत्‍पादक कंपनियों (एफपीसी) को छूट – बजट 2018 में प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपए तक टर्नओवर वाले सभी एफपीसी को, उनकी आय को कृषि आय मानते हुए, आयकर से छूट दी गई है। यह कारपोरेट क्षेत्र को किसानों के साथ एफपीसी के रूप में भागीदार बनाने के लिए प्रोत्‍साहित करेगा।

(iv) खुदरा खाद्य बाजार में 100 प्रतिशत एफडीआई- यह खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने हेतु उपयुक्‍त उत्‍पादन उपरांत अवंसरचना की स्‍थापनामें विदेशी निवेश को प्रोत्‍साहित करेगा।

\*\*\*\*\*